

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. ईसीआई/प्रे.नो./69/2015

दिनांक: 18 दिसम्बर, 2015

प्रेस नोट

विषय: गुजरात की राज्य विधान सभा में आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए उप-निर्वाचन का कार्यक्रम-तत्संबंधी।

गुजरात की राज्य विधान सभा में अग्रलिखित स्पष्ट रिक्ति है:

विधान सभा में रिक्ति

| क्रम. सं. | राज्य | विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की संख्या एवं नाम |
|-----------|--------|--|
| 1. | गुजरात | 168-चार्यासी |

आयोग ने निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार इस रिक्ति को भरने के लिए उप-निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया है:-

| | | |
|----|--|----------------------|
| 1. | राजपत्र अधिसूचना जारी करने की तारीख | 28.12.2015 (सोमवार) |
| 2. | नाम-निर्देशन भरने की अंतिम तारीख | 04.01.2016 (सोमवार) |
| 3. | नाम-निर्देशनों की संवीक्षा | 05.01.2016 (मंगलवार) |
| 4. | अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख | 07.01.2016 (गुरुवार) |
| 5. | मतदान की तारीख | 21.01.2016 (गुरुवार) |
| 6. | मतगणना की तारीख | 24.01.2016 (रविवार) |
| 7. | वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा | 27.01.2016 (बुधवार) |

निर्वाचक नामावली

गुजरात राज्य की निर्वाचक नामावली 01.01.2015 की अर्हक तिथि के रूप में पुनरीक्षित की गई है और अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी गई है।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ई वी एम)

आयोग ने उप-निर्वाचन में सभी मतदान केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रयोग करने का निर्णय लिया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें पर्याप्त संख्या में उपलब्ध करवा दी गई हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रकार के कदम उठाए गए हैं कि इन मशीनों की मदद से मतदान सुचारू रूप से सम्पन्न कराए जाएं।

मतदाताओं की पहचान

आयोग ने यह निर्णय लिया है कि उपरोल्लिखित उप-निर्वाचन में मतदान के समय मतदाता की पहचान अनिवार्य होगी। मतदाता की पहचान के लिए निर्वाचक फोटो पहचान कार्ड (एपिक) मुख्य दस्तावेज होगा। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्वाचक नामावली में नाम मौजूद होने पर कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न हो जाए, उक्त उप-निर्वाचन में मतदान के समय मतदाताओं की पहचान के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों की अनुमति प्रदान करने के लिए अलग से अनुदेश जारी किए जाएंगे।

आदर्श आचार संहिता

आदर्श आचार संहिता उस जिले में तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी जिसमें उप-निर्वाचन के लिए नियत विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र का पूर्ण या कोई भी आंशिक हिस्सा आता है बशर्ते कि आयोग के अनुदेश सं. 437/अनुदेश/2012/सीसीएंडबीई दिनांक 26 अप्रैल, 2012 (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध) द्वारा यथा-निर्गत आंशिक आशोधन की शर्तें पूरी होती हों। आदर्श-आचार संहिता सभी अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों और राज्य सरकार पर लागू होगी। आदर्श संहिता संबंधित राज्य के उपर्युक्त जिले के संदर्भ में संघ सरकार पर भी लागू होगी।

ह./-

(सुमित मुखर्जी)
सचिव